धौलपुर (राज0)

29.1.14 वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा मूल वाद विड्रो किया जा चुका है। मूल वाद के बगैर प्रा० पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। दिनांक 21.2.14 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुदा होकर शामिल मूल वाद रहे।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)